कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी NCF-2023 के अनुसार हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा–9,10) की पाठ्यचर्या हेतु परिषद विनियम के अध्याय–तेरह (हाईस्कूल परीक्षा) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण परिषद की वेबसाइट **upmsp.edu.in** पर अपलोड है।

अतः सभी हितधारकों से अनुरोध है कि पाठ्यचर्या में अपेक्षित संशोधनों से सम्बन्धित अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिनांक 29/6/2024 तक ईमेल0आई0डी0 **upmspncf2023@gmail.com** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

दिनांक– 18/6/2024

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/परिषद–9/197

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।

4– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

6– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी/गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

7– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे भी अपने स्तर से उक्त विज्ञप्ति का व्यापक रूप से प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित संशोधित विनियम

अध्याय तेरह

हाईस्कूल परीक्षा

(प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा–9 तथा 10)

हाईस्कूल परीक्षा के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को नीचे दिये हुए अनुसार सात विषयों में एक प्रश्नपत्र में परीक्षा ली जायेगी (वर्ष 2010 की परीक्षा से प्रभावी)––

(एक) हिन्दी अथवा प्रारम्भिक हिन्दी (हिन्दी से छूट पाने वाले छात्रों के लिए)।

(दो) एक आधुनिक भारतीय भाषा (गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, नैपाली)।

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा अंग्रेजी,।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी)।

(तीन) गणित अथवा प्रारम्भिक गणित अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए)।

टिप्पणी––

(क) वे छात्र/छात्रायें जो किसी विकलांगता, पूर्ण नेत्रहीनता अथवा विकलांग हाथ से पीड़ित हों, जिससे वे अनिवार्य विषयों गणित में ज्यामितीय आकृतियां न खींच पाते हों अथवा विज्ञान/गृहविज्ञान में कियात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, इन विषयों के स्थान पर छठे विषय के रूप में निर्धारित अतिरिक्त विषयों की सूची में से अन्य अतिरिक्त विषय चयन करने की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की है कि ऐसे छात्र/छात्रा अपनी विकलांगता के समर्थन में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा साथ ही यदि अग्रसारण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी विकलांगता से पूर्णतया सन्तुष्ट हों।

(ख) विकलांग तथा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे के हिसाब से अतिरिक्त समय देय होगा।

अध्याय–तेरह

हाईस्कूल परीक्षा

(कक्षा–9 तथा 10)

विनियम–

1 हाईस्कूल परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नांकित **दस पाठ्यचर्या क्षेत्रों** (**Curricular Areas**) में से प्रत्येक में एक अर्थात् 10 विषयों में एक प्रश्न पत्र में परीक्षा ली जायेगी। **(शैक्षिक सत्र 2025–26 से कक्षा–9 में प्रभावी)**

- भाषा क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र–1 R_1 (प्रथम भाषा) की भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य है। क्षेत्र–2 R_2 (द्वितीय भाषा) एवं क्षेत्र–3 R_3 (तृतीय भाषा) प्रत्येक में से एक–एक भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य है। क्षेत्र–2 R_2 (द्वितीय भाषा) में चयनित भाषा वर्ग का चयन, क्षेत्र–3 R_3 (तृतीय भाषा) में नहीं किया जायेगा।

इस प्रकार कुल तीन भाषाओं का अध्ययन किया जाना है।

क्रम	क्षेत्र–1 प्रथम भाषा (R_1)	क्षेत्र–2 द्वितीय भाषा (R_2)	क्षेत्र–3 तृतीय भाषा (R_3)
(1)	हिन्दी	**वर्ग–1** संस्कृत **वर्ग–2** गुजराती उर्दू पंजाबी बांग्ला मराठी असमी उड़िया कन्नड़ कश्मीरी सिन्धी तमिल तेलगू मलयालम नेपाली	**वर्ग–1** संस्कृत **वर्ग–2** गुजराती उर्दू पंजाबी बांग्ला मराठी असमी उड़िया कन्नड़ कश्मीरी सिन्धी तमिल तेलगू मलयालम नेपाली

(ग) निकाला गया। (परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 7 सितम्बर, 2002 में लिये गये निर्णय अनुसार निकाला गया।)

(घ) मूक बधिर छात्र दूसरी अनिवार्य भाषा के स्थान पर एक अन्य विषय वैकल्पिक विषयों की सूची में से उपहृत कर सकते हैं।

[चार] विज्ञान

[पॉच] सामाजिक विज्ञान

[छः] निम्नलिखित विषयों में से कोई एक अतिरिक्त विषय–

(क) एक शास्त्रीय भाषा– (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या– दो पर नहीं लिया गया है।)

(संस्कृत, पालि, अरबी, फारसी,)

अथवा

एक आधुनिक भारतीय भाषा– (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या– दो पर नहीं लिया गया है।)

(गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली।)

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा– (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है।) – अंग्रेजी।

(ख) संगीत गायन

(ग) संगीत वादन

(घ) वाणिज्य

(ड.) चित्रकला

(च) कृषि

(छ) गृह विज्ञान (बालको के लिये तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है।)

(ज) सिलाई

(झ) रंजन कला

(ञ) कम्प्यूटर

(ट) मानव विज्ञान

[सात]– नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी, उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित ट्रेड्स में से कोई एक––

		वर्ग–3 पालि ➢ **उपरोक्त में से किसी एक वर्ग (जो क्षेत्र–3 के वर्ग से भिन्न होगा) से किसी एक भाषा का चयन करना होगा।**	**वर्ग–3** पालि अरबी फारसी **वर्ग–4** अंग्रेजी ➢ **उपरोक्त में से किसी एक वर्ग (जो क्षेत्र–2 के वर्ग से भिन्न होगा) से किसी एक भाषा का चयन करना होगा।**

(2)	**क्षेत्र–4 :–** गणित एवं कम्प्यूटेशनल क्षेत्र	गणित (सभी के लिये अनिवार्य)
(3)	**क्षेत्र–5 :–** विज्ञान क्षेत्र	विज्ञान (सभी के लिये अनिवार्य)
(4)	**क्षेत्र–6 :–** सामाजिक विज्ञान क्षेत्र	सामाजिक विज्ञान (सभी के लिये अनिवार्य)
(5)	**क्षेत्र–7 :–** अन्तर्विषयक क्षेत्र	1–गृह विज्ञान अथवा 2–मानव विज्ञान अथवा 3–वाणिज्य अथवा 4–एन0सी0सी0 अथवा 5–कम्प्यूटर अथवा 6– कृषि अथवा 7–पर्यावरण विज्ञान (उपरोक्त में से किसी एक विषय का चयन करना होगा।)

1– टेक्सटाइल डिजाइन
2– पुस्तकालय विज्ञान
3– पाक शास्त्र
4– फोटोग्राफी
5– बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी
6– मधुमक्खी पालन
7– पौधशाला
8– आटोमोबाइल
9– धुलाई–रंगाई
10– परिधान रचना
11– खाद्य संरक्षण
12– एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण
13– आशुलिपि एवं टंकण
14– बैकिंग
15– टंकण
16– फल संरक्षण
17– फसल सुरक्षा
18– रेडियो एवं टेलीविजन
19– मुद्रण
20– बुनाई तकनीक
21– रिटेल ट्रेडिंग
22– सुरक्षा
23– मोबाइल रिपेरिंग
24– दूरिज्म एवं हास्पिटालिटी
25– आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0

टीप– पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्धारित ट्रेड विषयों का विद्यालय स्तर पर आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा तथा मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को ए0, बी0 तथा सी0 ग्रेड प्रदान किये जायेंगे जिसका उल्लेख उनके अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र में किया जायेगा तथा विद्यालय द्वारा चयनित ट्रेड स्वतः मान्य माने जायेंगे। शासन की संकल्पना के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न ट्रेड विषयों का अध्ययन प्रत्येक छात्र (कक्ष 9 से 12 तक) के लिये अनिवार्य होगा। संस्था को ट्रेड विषयों के संचालन हेतु कोई शासकीय अनुदान देय नहीं होगा।

(6)	**क्षेत्र–8 :–** कला शिक्षा क्षेत्र	1–चित्रकला अथवा 2–रंजन कला अथवा 3–संगीत गायन अथवा 4–संगीत वादन (उपरोक्त में से किसी एक विषय का चयन करना होगा।)
(7)	**क्षेत्र–9 :–** शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा तथा समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य (सभी के लिये अनिवार्य)

(8) **क्षेत्र–10 :–**
व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र–व्यावसायिक विषय।

वर्ग A जीवन रूपों के साथ कार्य करना	**वर्ग B मशीनों और सामाग्रियों के साथ कार्य करना**	**वर्ग C मानव सेवा में कार्य करना**
1. पाकशास्त्र (कुकरी) 2. बेकिंग एवं कनफेक्शनरी 3. मधुमक्खी पालन 4. पौधशाला 5. खाद्य खंरक्षण 6. फल संरक्षण 7. फसल सुरक्षा	1. आटोमोबाइल 2. आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0 3. प्लम्बर 4. इलेक्ट्रिशियन 5. सोलर सिस्टम 6. मोबाइल रिपेयरिंग 7. टेक्सटाइल डिजाइन 8. छाया चित्रण (फोटाग्राफी) 9. परिधान रचना एवं सज्जा 10. आशुलिपिक तथा टंकण 11. टंकण 12. मुद्रण 13. रेडियो एवं टेलीविजन 14. बुनाई तकनीक 15. सिलाई	1. हेल्थ केयर 2. रिटेल ट्रेडिंग (खुदरा व्यापार) 3. सुरक्षा 4. आपदा प्रबंधन 5. पुस्तकालय विज्ञान 6. धुलाई रंगाई 7. बैकिंग 8. एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण 9. पर्यटन एवं आतिथ्य

नोट– व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कक्षा–9 में वर्ग A ,वर्ग B एवं वर्ग C में से किसी एक वर्ग से एक ट्रेड का चयन किया जाएगा। कक्षा–10 में विद्यार्थी द्वारा कक्षा–9 में चयनित वर्ग से इतर किसी अन्य वर्ग से एक ट्रेड का चयन किया जाएगा।

(2) उपयुर्क्त पाठ्यक्रमों के अनुसार कक्षा 9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम पृथक–पृथक निर्धारित है कक्षा 9 के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यालय स्तर पर आंतरिक परीक्षा ली जायेगी। कक्षा 10 के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर हाईस्कूल परीक्षा की सार्वजनिक परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित होगी। प्रत्येक विषय में एक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा।

(3) हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों में प्रयोगात्मक कार्यों का आन्तरिक मूल्यांकन 05 प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग के आधार पर किया जायेगा, और ग्रेड को अंक पत्र में प्रदर्शित किया जायेगा।

(4) नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में विद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रदान किया जायेगा जिसका उल्लेख अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र में होगा।

(5) समस्त अध्यापकों के द्वारा जो हाईस्कूल परीक्षा के लिये तैयार कराने वाली कक्षाओं के शिक्षण में नियुक्त है, डायरियां रखी जायेगी, जिनमें उनके द्वारा पढ़ाये गये प्रत्येक विषय में हुआ कार्य दिखाया जायेगा और इन डायरियों का मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षकों अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा, जो परिषद द्वारा प्रतिनियुक्त किये जायें,निरीक्षण किया जायेगा।

(6) उप सात्रिक परीक्षाओं के लिये बनाये गये प्रश्न–पत्रों तथा समस्त परीक्षार्थियों को लिखित उत्तर पुस्तकों का भी परीक्षण इस ढंग से तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि परिषद निर्देश दे।

(7) समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिन विद्यालयों को हिन्दी माध्यम से शिक्षण दिये जाने हेतु पूर्व में मान्यता/अनुमति मिली है उन्हें अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षण दिये जाने की अनुमति दी जा सकती है। हाईस्कूल परीक्षा के समस्त परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथाव

विनियम

2. हाईस्कूल स्तर पर प्रचलित विषयों का अंक निर्धारण–

कक्षा–9 एवं 10

क्रम	पाठ्यचर्या क्षेत्र	पूर्णांक	सैद्धान्तिक	आन्तरिक मूल्यांकन
1	प्रथम भाषा (R_1)	100	80	20
2	द्वितीय भाषा (R_2)	100	80	20
3	तृतीय भाषा (R_3)	100	80	20
4	गणित एवं कम्प्यूटेशनल सोच	100	80	20
5	सामाजिक विज्ञान	100	80	20
6	विज्ञान	100	80	20
7	अन्तर्विषयक क्षेत्र	100	80	20
8	शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण	100	30	70
9	कला शिक्षा	100	30	70
10	व्यावसायिक शिक्षा	100	30	70

नोट–

1–कक्षा–9 में पाठ्यचर्या क्षेत्र 1 से 7 में निर्धारित सभी विषयों में सैद्धान्तिक परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर कराया जायेगा।

2–कक्षा–9 में पाठ्यचर्या क्षेत्र 8, 9 एवं 10 में निर्धारित सभी विषयों में सैद्धान्तिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर एवं आन्तरिक मूल्यांकन जिला विद्यालय द्वारा नियुक्त वाह्य परीक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर कराया जायेगा।

3– कक्षा–10 में पाठ्यचर्या क्षेत्र 1 से 7 में निर्धारित सभी विषयों में सैद्धान्तिक खण्ड की सार्वजनिक परीक्षा परिषद द्वारा एवं आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय द्वारा कराया जायेगा।

4– कक्षा–10 में पाठ्यचर्या क्षेत्र 8, 9 एवं 10 में निर्धारित सभी विषयों में सैद्धान्तिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर एवं आन्तरिक मूल्यांकन वाह्य परीक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर कराया जायेगा।

–:प्रश्न पत्र का प्रारूपः–

कक्षा–9 एवं 10

पाठ्यचर्या क्षेत्र	बहुविकल्पीय प्रश्न	दक्षता आधारित प्रश्न	वर्णनात्मक प्रश्न	योग
1 से 7	20 अंक	30 अंक	30 अंक	80 अंक

- 20 अंक आन्तरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत मौखिक टेस्ट, प्रोजेक्ट आदि हेतु निर्धारित किये गये हैं।
- पाठ्यचर्या क्षेत्र 8, 9 एवं 10 में 30 अंक लिखित परीक्षा हेतु एवं 70 अंक प्रदर्शन आधारित आन्तरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित किये गये हैं।

अंग्रेजी माध्यम से देगें। परिषद के सभापति तथा विभाग के ऐसे अन्य अधिकरी, जिन्हें वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें, स्वमति से उन परीक्षार्थियों की, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है उर्दू में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दे सकते है। भाषाओं को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में बनाये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह भी है कि परिषद द्वारा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को ब्रेल लिपि में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी जा सकती है।

टिप्पणी– (1) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर भाषाओं तथा तत्समबन्धी लिपि में देगें जिससे प्रश्न–पत्र का सम्बन्ध है, जब तक कि प्रश्न–पत्र में ही उसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

(2) परिषद के सभापति ने विनियम 7 अध्याय तेरह के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द अधीक्षकों को निम्नलिखित वर्गो के परीक्षार्थियों की परीक्षाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में अंग्रेजी में प्रश्न–पत्रों का उत्तर देने की अनुमति देने का अधिकार दे दिया है।

(3) हाईस्कूल परीक्षा में वर्ष 2010 की परीक्षा से क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। जिसके अनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी जिन विषयों में उत्तीर्ण हो जांय उन्हें अगले वर्ष पुनः उन विषयों में परीक्षा नही देनी पड़ेगी। मात्र उन विषयों में परीक्षा देनी होगी जिनमें वे अनुत्तीर्ण हों। प्रतिबन्ध यह होगा कि तीन वर्षों के भीतर ऐसे छात्रों को संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना होगा, इसके बाद छात्र केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा दे सकेंगे।

–:शैक्षिक मूल्यांकन हेतु विषयवार ग्रेडिंग सिस्टमः–

(कक्षा–9)

प्राप्तांक	ग्रेड
91–100	A-1
81–90	A-2
71–80	B-1
61–70	B-2
51–60	C-1
41–50	C-2
33–40	D
0–32 (विषयवार अनुत्तीर्ण)	E

(कक्षा–10)

ऑक्टाइल	ग्रेड
शीर्ष 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थी	A-1
अगले 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थी	A-2
अगले 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थी	B-1
अगले 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थी	B-2
अगले 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थी	C-1
अगले 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थी	C-2
अगले 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थी	D
विषयवार अनुत्तीर्ण/कम्पार्टमेंट	E

विनियम–

3. विद्यालय द्वारा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित ट्रेड के संचालन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परिषद को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालयों को पृथक से मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी। संस्था को ट्रेड विषयों के संचालन हेतु कोई शासकीय अनुदान देय नहीं होगा।

4. समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिन विद्यालयों को हिन्दी माध्यम से शिक्षण दिये जाने हेतु पूर्व में मान्यता/अनुमति मिली है उन्हें अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षण दिये जाने की अनुमति दी जा सकती है। हाईस्कूल

(4) परिषद द्वारा वर्ष 2010 से आयोजित हाईस्कूल परीक्षा से छात्रों के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र में अंको के साथ ग्रेडिंग को भी प्रदर्शित किया जायेगा।

[एक] परीक्षार्थी जिनकी मातृ भाषा हिन्दी न होकर एक अन्य भाषा है।

[दो] परीक्षार्थी, जिन्होंने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषय (गणित सहित) लिए है।

[तीन] आंग्ल भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थी।

[चार] परीक्षार्थी जिन्हें परिषद के विनियमों के विनियम 8 अध्याय तेरह के अन्तर्गत परिषद की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी लेने से छूट मिल गई है।

(3) परिषद के सभापति ने ऊपर के नियम के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश की ऐसे परीक्षार्थियों को जिनकी मातृ भाषा उर्दू है, परिषद की परीक्षाओं में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने का अनुमति देने का अधिकार प्रतिनिहित कर दिया है।

(4) परिषद के सभापति ने ऊपर के विनियमों के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों को ब्रेल लिपि में प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार प्रतिनिहित कर दिया है।

(5) ऐसे समस्त मामले जिनमें संस्थाओं के प्रधानों अथवा केन्द्र अधीक्षंको अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति दी जाती है, परिषद को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) इन विनियमों की शर्तो के होते हुये भी हाईस्कूल परीक्षा में निम्नलिखित वर्गो के परीक्षार्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी से छूट दी जा सकती है :

(1) विदेशी राष्ट्रिक को तथा

(2) भारतीय राष्ट्रिक को जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी

का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं थें, जिससे कि वे हाईस्कूल परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सके।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परीक्षार्थियों को हिन्दी का निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक हिन्दी अथवा अन्य वैकल्पिक विषय, जो नियमानुकूल हो, अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर लेना चाहिये।

ज्ञातव्य––

(1) इस विनियम में उल्लिखित छूट परिषद के सभापति द्वारा अथवा परीक्षा के समस्त परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम से दे सकते हैं। भाषाओं को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में बनाये जायेंगे।

परिषद द्वारा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को ब्रेल लिपि में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी जा सकती है।

5. भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर भाषाओं तथा तत्सम्बन्धी लिपि में देगें जिससे प्रश्न–पत्र का सम्बन्ध है, जब तक कि प्रश्न–पत्र में ही उसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

6. हाईस्कूल परीक्षा में परीक्षा क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। जिसके अनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी जिन विषयों में उत्तीर्ण हो जांय उन्हें अगले वर्ष पुनः उन विषयों में परीक्षा नही देनी पड़ेगी। मात्र उन विषयों में परीक्षा देनी होगी जिनमें वे अनुत्तीर्ण हों। प्रतिबन्ध यह होगा कि परीक्षा वर्ष से अगले तीन क्रमागत वर्षों के भीतर ऐसे छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना होगा, इसके बाद छात्र सम्पूर्ण विषयों से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा दे सकेंगे। क्रेडिट सिस्टम के संस्थागत परीक्षार्थी आगामी परीक्षाओं में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। क्रेडिट सिस्टम के व्यक्तिगत परीक्षार्थी आगामी परीक्षाओं में केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

7. परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा में छात्रों के प्रमाणपत्र सह अंकपत्र में विषयों के सम्मुख अंको के साथ–साथ ग्रेडिंग एवं क्रेडिट अंक को भी प्रदर्शित किया जायेगा।

8. भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित Rights of Persons with disabilities Act 2016 में चिन्हित सभी 21 प्रकार की अक्षमता/दिव्यांगता (न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांगता) की श्रेणी में आने वाले छात्र/छात्राओं को केन्द्रव्यवस्थापक के माध्यम से श्रुतलेखक हेतु आवेदन करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कक्षा–10 एवं 12 की परीक्षा में श्रुतलेखक प्रदान किया जायेगा, जो सम्बन्धित परीक्षार्थी की कक्षा से एक कक्षा नीचे का छात्र होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी गम्भीर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी परीक्षार्थी के लिखने वाले हाथ अथवा उसके ऑखों को ऐसी क्षति पहुंची है जो स्थायी रूप से असाध्य हो अथवा ऐसी कार्यावधि के लिये उसे लिखने में अक्षम करती हो जिसमें कक्षा–10 एवं 12 की परीक्षा होनी है केन्द्र व्यवस्थापक के माध्यम से आवेदन करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा श्रुतलेखक प्रदान किया जायेगा, जो परीक्षार्थी की कक्षा से एक कक्षा नीचे का छात्र होगा।

9. न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांग दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग छात्र/छात्राओं को प्रश्न पत्र हल करने हेतु 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से अतिरिक्त समय देय होगा।

विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है जिसे वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे।

अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी नियम

परिषद की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी से छूट के नियम अध्याय तेरह विनियम 8 में दिये हुए है। उपर्युक्त विनियमों के अन्तर्गत परिषद ने अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी निम्नांकि नियम बनाये है––

1– परीक्षार्थी, जिन्होंने एक आंग्ल भारतीय अथवा पब्लिक स्कूल में कम से कम 3 वर्ष अध्ययन किया हो तथा स्तर आठ अर्थात कैम्ब्रिज सर्टीफिकट परीक्षा अथवा इण्डियन स्कूलन सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संचालित इण्डियन स्कूल सर्टीफकेट परीक्षा जिस वर्ष में होता है, उससे चार वर्ष पूर्व का स्तर उत्तीर्ण कर लिया है।

2– परीक्षार्थी जो एक ऐसे राज्य के स्थायी निवासी है, जहॉ हिन्दी प्रादेशिक भाषा नहीं है तथा जिनके अभिभावक हाईस्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षा वर्ष से पहले की वर्ष के 1 सितम्बर, को कम से कम 5 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रब्रजन कर चुके है।

3– परीक्षार्थी जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, परन्तु जिन्होंने अस्थायी रूप से अन्य राज्य को प्रब्रजन किया है और वहॉ निवास किया है, यदि वे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक अध्ययन करने तथा उस विद्यालय में उच्च हिन्दी न लेने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते है :

अनिवार्य हिन्दी से छूट प्रदान करने के लिये अधिकृत अधिकारी

1– सन्दर्भित विनियमों के पुनश्चः (1) के अनुसारण में परिषद के सभापति ने निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखित राष्ट्रिकों को अनिवार्य हिन्दी से छूट देने का अधिकार दे दिया है :

(क) जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश– भारतीय राष्ट्रिक, जो (व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के परीक्षार्थी)।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान– विदेशी राष्ट्रिक, जो उनकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं

(ग) उन संस्थाओं के प्रधान, जो परीक्षा केन्द्र है– विदेशी राष्ट्रिक, जो उस केन्द्र से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं।

2– संस्थागत परीक्षार्थियों को, जो अनिवार्य हिन्दी से छूट पाने के

10. वे छात्र/छात्रायें जो किसी दिव्यांगता, पूर्ण नेत्रहीनता अथवा विकलांग हाथ से पीड़ित हों, जिससे वे अनिवार्य विषय गणित में ज्यामितीय आकृतियां न खींच पाते हों अथवा विज्ञान/गृहविज्ञान में क्रियात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, इन विषयों के स्थान पर कला शिक्षा क्षेत्र एवं अन्तर्विषयक क्षेत्र में से चयनित विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय का चयन करने की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की है कि ऐसे छात्र/छात्रा अपनी न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांगता के समर्थन में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा साथ ही अग्रसारण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी विकलांगता से पूर्णतया सन्तुष्ट हों। मूक बधिर छात्र/छात्रा भाषा क्षेत्र R_2 एवं R_3 में निर्धारित दो भाषाओं के स्थान पर कला शिक्षा क्षेत्र एवं अन्तर्विषयक क्षेत्र में से चयनित विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय का चयन कर सकते हैं।

–: कक्षा–9 एवं 10 हेतु विषयवार निर्धारित क्रेडिट वितरण की योजना :–

क्रम	पाठ्यचर्या क्षेत्र	अंक	देय क्रेडिट	30 घंटे प्रति क्रेडिट के अनुसार अनुमानित घंटे
1	प्रथम भाषा (R_1)	100	4	4 X 30 = 120
2	द्वितीय भाषा (R_2)	100	4	4 X 30 = 120
3	तृतीय भाषा (R_3)	100	4	4 X 30 = 120
4	गणित एवं कम्प्यूटेशनल सोच	100	5	5 X 30 = 150
5	सामाजिक विज्ञान	100	5	5 X 30 = 150
6	विज्ञान	100	5	5 X 30 = 150
7	अन्तर्विषयक क्षेत्र	100	4	4 X 30 = 120
8	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	100	3	3 X 30 = 90
9	कला शिक्षा	100	3	3 X 30 = 90
10	व्यावसायिक शिक्षा	100	3	3 X 30 = 90
			कुल 40 क्रेडिट	**कुल 1200 घंटे**

विनियम

11. कक्षा–9 में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट अंक उनके अंक पत्र में तथा कक्षा–10 में उनके प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में प्रदर्शित किये जायेंगे।

अधिकारी हो, यथोचित प्राधिकारी से कक्षा में प्रवेश के समय आवेदन करना चाहिए।

3– व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में छूट के लिए प्रार्थना तथा आदेशों की प्राप्ति परीक्षा में प्रविष्टि होने के आवेदन–पत्र भरने से पूर्व ही प्राप्त करनी चाहिये।

विभिन्न प्रकार की हिन्दी लेने के सम्बन्ध में निर्देश

1– प्रारम्भिक हिन्दी (कक्षा 8 के स्तर की) लेकर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इण्टरमीडएट परीक्षा में निर्धारित हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी लेनी होगी।

2– उत्तर प्रदेश से हिन्दी के साथ कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी प्रदेश से बिना हिन्दी के अथवा कम अंकों वाली निम्न स्तर की हिन्दी के साथ हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी या मैट्रीकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट परीक्षा में निर्धारित हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी लेनी होगी।

3– इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी से छूट नहीं दी जायेगी।

12. विद्यार्थियों को प्राप्त क्रेडिट पर प्राप्तांकों का प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात उस विषय में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को एक समान क्रेडिट प्राप्त होगा।

13. क्रेडिट सम्पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे अर्थात उस विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी को पूर्ण क्रेडिट मिलेंगे और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा।

14. हाईस्कूल स्तर पर सभी दस विषयों में उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। ऐसा परीक्षार्थी कक्षा–11 में प्रवेश लेने का पात्र होगा। परीक्षार्थी को किसी एक अनुत्तीर्ण विषय में कम्पार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी। पाठ्यचर्या क्षेत्र 1से 7 तक के निर्धारित विषयों में कम्पार्टमेंट परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जायेगी तथा पाठ्यचर्या क्षेत्र 8, 9 एवं 10 तक के निर्धारित विषयों कम्पार्टमेंट परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित करायी जायेगी। कम्पार्टमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में उस विषय में देय क्रेडिट अंक को भी प्रदर्शित किया जायेगा।

15. हाईस्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या क्षेत्र 1 से 10 तक निर्धारित सभी 10 विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को उनकी इच्छानुसार किसी एक विषय में अंक सुधार हेतु इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा मुख्य परीक्षा एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षा में अर्जित अंकों में जिसमें अधिक अंक प्राप्त होंगे, उन्हे अंतिम माना जायेगा। दोनों परीक्षाओं में अंक समान होने की दशा में मुख्य परीक्षा के अंक मान्य होंगे।

बोर्ड परीक्षा के बाद हाईस्कूल स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा वाले (पाठ्यचर्या क्षेत्र–1 से 7 तक) विषयों के आधार पर श्रेष्ठता सूची बनेगी।

16. हाईस्कूल स्तर पर निर्धारित पाठ्यचर्या क्षेत्र 1 से 7 तक के सभी विषयों में परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण होने पर लिखित खण्ड में आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 अंक तक कृपांक (ग्रेस मार्क) देय होगा।

17. प्रत्येक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु हाईस्कूल स्तर पर 80 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा में न्यूनतम 26 अंक तथा 20 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 07 अंक (कुल 33 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30 अंकों के सैद्धान्तिक खण्ड में न्यूनतम 10 अंक तथा 70 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 23 अंक (कुल 33 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/-
(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, प्रयागराज।